यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पत्रांक वाई.ई.ए. / भूलेख / 97 / 2024
दिनांक 08 / 10 / 2024

उप जिलाधिकारी खैर
सहा0 कले0प्र0 श्रेणी खैर (अलीगढ)

विषय– आपके कार्यालय के पत्राक सख्या 40 / रीडर–2024 दिनाक 26.09.2024 के सम्बध मे।

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्राक सख्या 40 / रीडर–2024 दिनाक 26.09.2024 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा ग्राम फाजिलपुर कला परगना टप्पल तहसील खैर, जिला अलीगढ के गाटा संख्या 289 रकबा 0.8290 के सम्बध मे श्री सुखवीरी पत्नी जुगेन्द्र सिह नि0 ग्राम जटटारी परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ द्वारा धारा 80 के अंतर्गत भूमि को आकृषिक घोषित किये जाने के सम्बध मे यमुना एक्सप्रेसवे औ0वि0 प्राधिकरण से आपत्ति / अनापत्ति से आपत्ति / अनपत्ति चाही गयी है।

उपरोक्त के कम मे ग्राम नियोजन विभाग से प्राप्त आख्या की गई जिसमे नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि " **ग्राम जट्टारी नगर पंचायत के अन्तर्गत पडने वाले क्षेत्र फाजिलपुर कलां तहसील खैर जिला अलीगढ, को यमुना एक्सप्रेसवे औ0वि0 प्राधिकरण क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया गया है**"

अतः उक्त ग्राम अपवर्जित कर दिये गये है, इस सम्बध मे सूचित होने का कष्ट करे।

8/10/24

डिप्टी कलक्टर (आर0डी0)
यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण

कार्यालय
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण
अलीगढ़।

कार्यालय पताः
रामघाट रोड, ऑवर लेडी फातिमा स्कूल के सामने, अलीगढ़।
दूरभाष : 0571–2740682
वेबसाइट : www.adaaligarh.in
E-mail : ada1981@rediffmail.com

पत्रांक–3766 /एडीए/2024–25

दिनाँक 16-12-.2024

सेवा में,

उप जिलाधिकारी (खैर)
जिला–अलीगढ़।

महोदय,

कृपया स्वकीय पत्र संख्या–152/रीडर–2024 दिनाँक 10.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–80 के अन्तर्गत ग्राम फाजिलपुर कलां, परगना टप्पल, तहसील खैर, जिला अलीगढ़ के खाता सं0–200 गाटा सं0–294 रकवा–0.864 हे0 लगानी 60ख सं0भू0 भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने के सम्बन्ध में कर्मवीर सिंह व रनवीर सिंह पुत्रगण खरग सिंह व कान्ती देवी पत्नी नत्थू सिंह व राकेश कुमार व सुन्दरपाल सिंह पुत्रगण नत्थू सिंह, नि0–फाजिलपुर कलां, परगना टप्पल, तहसील खैर, जिला अलीगढ़ द्वारा उक्त भूमि एडीए द्वारा किसी परियोजना में शामिल होने अथवा न होने के सम्बन्ध में आख्या/अनापत्ति न्यायालय को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

नियोजन अनुभाग की आख्या के अनुसार ग्राम फाजिलपुर कलां, परगना टप्पल, तहसील खैर, जिला अलीगढ़, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अधिसूचना संख्या–324/आठ–6–08–13गठन–2007, दिनांक 08.02.2008 के अन्तर्गत अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिसूचित ग्राम न होने के कारण प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं है।

उपरोक्त आख्या अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर प्रेषित की जा रही है। तद्नुसार अवगत होने का कष्ट करें।

16/12/24

सचिव
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण,
अलीगढ़।